# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 195/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/302

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

डोली बनाम मंदिर श्री गोपाल द्वारा थोब जरिए चेला महन्त श्यामदासजी चेला पेमदासजी गोपाल द्वारा मंदिर, थोब त्हसील पचपदरा जिला बालोतरा

1.परबतसिंह पुत्र गुलाबसिंह
2.मोहनसिंह पुत्र गंगासिंह
3.हीरसिंह पुत्र गंगासिंह
4. जोजे गंगासिंह जाति राजपूत
5.गोबरराम पुत्र नेनाराम
6.राजूराम पुत्र नवाराम
7.बुद्धाराम पुत्र भोमाराम
8.नारायणराम पुत्र अकाराम
9.जीवाराम पुत्र जसाराम
10.रेखाराम पुत्र जसाराम
11.नरपत पुत्र जसाराम
12.किशन पुत्र जसाराम
13.रेशमी बेवा जसाराम
14.सालगराम पुत्र विशनाराम जाति चौधरी
15.कानाराम पुत्र सोनाराम जाति देवासी
16.पदमसिंह पुत्र अखसिंह
17.सुल्तानसिंह पुत्र रूगनाथसिंह के वारिसान
17/1.बलवंतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
17/2.प्रेमसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
17/3.उदयसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
17/4.मोतीसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
17/5.गुलाबसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
17/6.केसीदेवी बेवा सुल्तानसिंह
18.अनोपसिंह पुत्र सुरजमलसिंह के वारिसान
18/1.नरपतसिंह पुत्र अनोपसिंह
18/2.प्रेमसिंह पुत्र अनोपसिंह
18/3.मिसरीदेवी बेवा अनोपसिंह

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 195/2024
डोली मंदिर बनाम बनाम परबतसिंह वगैरा

जाति राजपुरोहित निवासी थोब
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
19.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति–

1.श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता प्रार्थी
2.विप्रार्थी एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

## आदेश

दिनांक 27/10/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 875 रकबा 25.15 बीघा,खसरा संख्या 1071 रकबा 3.13 बीघा व ग्राम राजपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 355 रकबा 15.07 बीघा,खसरा संख्या 377 रकबा 26.02 बीघा व खसरा संख्या 337 रकबा 31.17 बीघा भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 875 रकबा 25.15 बीघा,खसरा संख्या 1071 रकबा 3.13 बीघा व ग्राम राजपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 355 रकबा 15.07 बीघा,खसरा संख्या 377 रकबा 26.02 बीघा व खसरा संख्या 337 रकबा 31.17 बीघा भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री सांवलराम मेघवाल द्वारा विप्रार्थी संख्या 13 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया,जो पत्रावली शामिल है। विप्रार्थी संख्या 13 अधिवक्ता को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नही हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

875 रकबा 25.15 बीघा,खसरा संख्या 1071 रकबा 3.13 बीघा व ग्राम राजपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 355 रकबा 15.07 बीघा,खसरा संख्या 377 रकबा 26.02 बीघा व खसरा संख्या 337 रकबा 31.17 बीघा भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 875 रकबा 25.15 बीघा,खसरा संख्या 1071 रकबा 3.13 बीघा व ग्राम राजपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 355 रकबा 15.07 बीघा,खसरा संख्या 377 रकबा 26.02 बीघा व खसरा संख्या 337 रकबा 31.17 बीघा, भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

**4.**हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 875 रकबा 25.15 बीघा,खसरा संख्या 1071 रकबा 3.13 बीघा व ग्राम राजपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 355 रकबा 15.07 बीघा,खसरा संख्या 377 रकबा 26.02 बीघा व खसरा संख्या 337 रकबा 31.17 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी प्रथम द्वष्यता हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे।

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 15.05.2012 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बावत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

**5.**उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

## –:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 875 रकबा 25.15 बीघा,खसरा संख्या 1071 रकबा 3.13 बीघा व ग्राम राजपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 355 रकबा 15.07 बीघा,खसरा संख्या 377 रकबा 26.02 बीघा व खसरा संख्या 337 रकबा 31.17 बीघा भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए नियमानुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है।

27/10/25

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27/10/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

27/10/25

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा